व्याख्या कीजिए।

अथवा, मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था पर रूसो के विचारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत :

1. मानव स्वभाव—मानव स्वभाव की व्याख्या के सम्बन्ध में रूसो के विचार लॉक के निकट हैं। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से भला चाहता है, परन्तु कभी-कभी बुराई भी करता है। मनुष्य स्वभाव से सुखी, परोपकारी, शान्ति प्रेमी और एकान्तप्रिय होता है। संसार में पाये जाने वाले पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता आदि गलत एवं भ्रष्ट सामाजिक संस्थाओं के परिणामस्वरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य के पतन के लिए सामाजिक संस्थाएँ दोषी हे। **सेबाइन** के अनुसार, "रूसो ने आदिम मानव को पशु तुल्य निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। वह सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन, नैतिकता के विचारों से रहित और सम्पत्ति शून्य था।"

2. प्राकृतिक अवस्था—हॉब्स और लॉक के समान रूसो ने भी अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रारंभ प्राकृतिक अवस्था के चित्रण से किया है। उसकी प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य 'भला असभ्य जीव' था। वह सरल और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना था। वह स्वतंत्र, सन्तुष्ट, आत्मतृप्त, स्वस्थ एवं निर्भर था। मनुष्य में स्वार्थ की भावना का अभाव था।

प्राकृतिक अवस्था की अवनति—रूसो की यह प्राकृतिक अवस्था यद्यपि आदर्श व्यवस्था थी, तथापि वह कतिपय कारणों से दु:खद हो गई :

(i) जनसंख्या में वृद्धि—जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों में व्यक्तिगत सम्पत्ति अर्जित करने की भावना उत्पन्न होने लगी।

(ii) व्यक्तिगत सम्पत्ति—व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा उत्पन्न हुई। इससे सुखमय और शान्तिपूर्ण जीवन का अन्त हो गया।

रूसो ने लिखा है, "वह प्रथम व्यक्ति नागरिक समाज (राज्य) का जन्मदाता था, जिसने किसी जमीन के टुकड़े को घेरकर सबसे पहले यह कहा कि यह मेरा है और जिसने दूसरों को इतना सीधा पाया कि उन्होंने उस पर विश्वास भी कर लिया।" रूसो के अनुसार हमारी तथाकथित सभ्यता के जन्म के साथ ही समस्त बुराइयाँ, छल, कपट, स्वार्थ, ईर्ष्या व द्वेष आदि का जन्म हुआ। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ-साथ उद्योग-धन्धे विकसित हुए, श्रम विभाजन का जन्म हुआ। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ-साथ स्थायी निवास, परिवार व व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथाएँ विकसित हुई। प्राकृतिक अवस्था का निश्छल, असभ्य जीव बुराईयों में फंसता चला गया। इन बुराइयों को रोकने के लिए समझौते द्वारा राज्य का जन्म हुआ।

3. सामाजिक समझौता—प्राकृतिक अवस्था की दु:खद स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ऐसे समुदाय की स्थापना करने की आवश्यकता अनुभव हुई जो समाज की पूरी शक्ति के साथ हर व्यक्ति के जीवन व सम्पत्ति का रक्षक हो सके तथा जिसके प्रत्येक व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे से बद्ध होने के काण स्वयं अपनी ही आज्ञा का पालन करें और पूर्ववत् स्वतंत्र भी रह सके। रूसों ने समझौते को इस प्रकार व्यक्त किया है—"हममें से

प्रत्येक अपने व्यक्तित्व एवं अपने समस्त अधिकारों के सामान्य प्रयोग के लिए, सामान्य इच्छा से सर्वोच्च निर्देशन के अन्तर्गत एक समूह में केन्द्रित कर देता है तथा हममें से प्रत्येक व्यक्ति उस समूह (समाज) के अभिन्न अंग के रूप में उनसे अपने व्यक्तित्व और अधिकार प्राप्त कर लेता है।" उसने अन्यत्र लिखा है "समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की इस प्रक्रिया में पूर्णतया नैतिक तथा सामूहिक निकाय का जन्म होता है जो कि उतने ही सदस्यों से मिलकर निर्मित है जितने कि उसमें मत होते हैं। समुदाय बनाने के इस कार्य से ही निकाय को अपनी एकता, अपनी सामान्य सत्ता, अपना जीवन तथा अपनी इच्छा प्राप्त होती है। समस्त व्यक्तियों के संगठन से बने हुए इस सार्वजनिक व्यक्ति समूह को पहले नगर कहते थे, अब उसे गणराज्य या राजनीतिक समाज कहते हैं। जब वह निष्क्रिय रहता है तो उसे राज्य कहते हैं, और जब सक्रिय होता है, तो उसे सम्प्रभु कहते हैं।

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रूसो ने अपने समझौते में समाज की सर्वोच्चता को मान्यत दी है। उसने अपने समझौते में किसी प्रभुता सम्पन्न शासक को अधिकार दिए हैं, जिसका वह स्वयं भी सदस्य है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समझौते से लाभ होने की संभावना रहती है, इसका कारण यह है कि वह जो कुछ भी अधिकार सौंपता है, वह समाज को ही सौंपता है। समाज का व्यक्ति स्वयं भी सदस्य है। अतः समाज के माध्यम से वह अपने दिए गए अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लेता है।

4. समझौते की विशेषताएँ—रूसों के इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :

(i) समझौते के लिए आवश्यकता—प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य असभ्य, निश्छल और शान्त प्रकृति के थे। जनसंख्या की वृद्धि और व्यक्तिगत संपत्ति के विकास ने मनुष्यों में बुराइयाँ उत्पन्न कर दी, जिनसे बचने के लिए समझौता करने की आवश्यकता हुई।

(ii) पूर्ण एकता—इस समझौते से पूर्ण एकता स्थापित हुई प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में स्वयं को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता।

(iii) सामान्य इच्छा—सम्प्रभु शक्ति समाज अथवा सामान्य इच्छा में निहित है।

(iv) पूर्ण समाज में हितों का अधिकार—मनुष्यों ने अपने अधिकारों का त्याग किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न कर संपूर्ण समाज के प्रति किया।

(v) व्यक्ति को कोई हानि नहीं—इस समझौते से व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती, उसने एक हाथ से जो कुछ दिया, समाज के अभिन्न अंग के रूप में दूसरे हाथ से प्राप्त कर लिया।

(vi) मौलिकता—रूसो के इस सिद्धांत में 'सामान्य इच्छा' का मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

(vii) एक ही समझौता—रूसो ने एक ही समझौते का उल्लेख किया है, जिसमें दो पक्ष हैं... एक ओर व्यक्ति और दूसरी ओर समाज।

(viii) राज्य का सावयवी रूप—रूसो ने राज्य का स्वरूप 'सावयवी' माना है।

5. रूसो के समझौता सिद्धांत की आलोचना—आलोचकों ने रूसो के समझौ सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार की है :

(i) राज्य की प्रकृति ऐतिहासिक नहीं—रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था काल्पनि और अनैतिहासिक है। इतिहास बताता है कि मनुष्य का जीवन इतना शान्त और सुख कभी न रहा।

(ii) असंगत—रूसो के भोले-भाले असभ्य मनुष्य में अचानक समझौते जैसी उच्च भावना की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बात समझ में आने योग्य नहीं है।

(iii) विरोधाभास—रूसो के विचारों में विरोधभास है। एक ओर तो समझौता व्यक्ति और समाज के मध्य किया जाता है, पर दूसरी ओर समाज स्वयं समझौते का परिणाम है।

(iv) गलत धारणा—रूसो ने समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति स्वीकार की है। यह एक गलत धारणा है।

(v) सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट—रूसो के सामान्य इच्छा-सिद्धांत में स्पष्टता तथा भ्रामकता है।

(vi) समाज व राज्य में भ्रम—रूसो ने समाज और राज्य को एक ही माना है जो कि पूर्णत: गलत है।

(vii) राज्य से संबंधित अस्पष्ट विचार—राज्य के सम्बन्ध में भी रूसो ने एक ओर कहा है कि राज्य के आदेशों का पालन करता हुआ मनुष्य अपने ही आदेशों का पालन करता है, दूसरी ओर यह कहा कि राज्य मनुष्यों द्वारा अपनी हित-पूर्ति के लिए बनाई गई संस्था है।

(viii) काल्पनिक विचार—रूसो का यह विचार भी काल्पनिक है कि एक बार व्यक्ति अपने सारे अधिकार समूह को देकर पुन: प्राप्त कर लेता है।

(ix) अमान्य—वर्तमान युग में रूसो के इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जा सकती।

निष्कर्ष—इन आलोचनाओं के बावजूद भी यह सिद्धांत अर्थहीन नहीं है। इस सिद्धांत में सामान्य इच्छा को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत वर्तमान प्रजातंत्रों में सम्प्रभुता का मूल सिद्धांत है। इस प्रकार रूसो के 'समझौते का सिद्धांत' का राजदर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान